प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
चन्दौली, कानपुर नगर, बलरामपुर, सीतापुर हाथरस, उन्नाव, मुजफ्फरनगर, मेरठ, खीरी, गोण्डा, शामली, भदोही, फर्रूखाबाद, मथुरा, सहारनपुर, जालौन, फैजाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, प्रतापगढ़, मऊ, कौशाम्बी, संत कबीर नगर, चित्रकूट, आजमगढ़, फतेहपुर, हरदोइ तथा रायबरेली, उत्तर प्रदेश।

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0 / एन0सी0डी0 / NPCB / 01 / 2017–18 / 3634-28 दिनांक: 14-07-17

विषय : राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2015–16 तक की 28 जनपदों की लम्बित देनदारियों हेतु जनपदवार, गतिविधिवार अवमुक्त धनराशि एवं तद्सम्बन्धी दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदया / महोदय,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की चतुर्थ पूरक आर0ओ0पी0 2016–17 के एफ0एम0आर0 कोड सं0–आई0 पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत रू0 93703087.00 की धनराशि अनुमोदित की गई है।

2. अतः भारत सरकार के स्वीकृति के क्रम में राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 से 2015–16 तक की लम्बित देनदारियों के सापेक्ष महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, के प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर राज्य स्वास्थ्य समिति के खाते से 28 जनपदों को दिनांक 03 / 07 / 2017 को Payment Advice No- C061704634019 अनुसार रू0 76773534.00 की धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में निम्न तालिका के अनुसार अवमुक्त की जा चुकी है–

(Amt. in Rs.)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	राजकीय क्षेत्र	स्वैच्छिक क्षेत्र	बच्चो के चश्में	बुजुर्गों के चश्मे	अन्य नेत्र रोग	मानदेय	कुल योग
		आई.1.1ए	आई.1.1	आई.1.3	आई.1.4	आई.1.2	आई.3	
1	चन्दौली	202072	236000	0	0	0	0	438072
2	कानपुर नगर	0	4734000	146212	30424	7500	0	4918136
3	बलरामपुर	19320	663000	372330	91587	0	0	1146237
4	सीतापुर	0	16726475	0	0	0	0	16726475
5	हाथरस	0	594750	0	0	0	0	594750
6	उन्नाव	0	602500	0	0	0	0	602500
7	मुजफ्फरनगर	0	507500	0	0	0	0	507500
8	मेरठ	38000	1501500	0	0	0	0	1539500
9	खीरी	0	0	297932	39952	0	0	337884
10	गोण्डा	0	859000	0	0	0	0	859000
11	शामली	0	0	240288	0	0	0	240288
12	भदोही	0	1313000	0	0	0	0	1313000
13	फर्रूखाबाद	0	683000	0	0	0	0	683000
14	मथुरा	0	15152950	0	0	0	0	15152950
15	सहारनपुर	0	785000	0	0	0	0	785000
16	जालौन	411130	54000	0	0	0	0	465130
17	फैजाबाद	0	5078600	0	0	0	0	5078600
18	कन्नौज	1097071	4600750	316302	436454	0	231600	6682177

क्र0 सं0	जनपद का नाम	राजकीय क्षेत्र	स्वैच्छिक क्षेत्र	बच्चो के चश्में	बुजुर्गों के चश्मे	अन्य नेत्र रोग	मानदेय	कुल योग
19	कानपुर देहात	0	6590000	0	0	0	0	6590000
20	प्रतापगढ़	136210	671417	0	0	0	0	807627
21	मऊ	0	0	497250	95618	0	0	592868
22	कौशाम्बी	0	5904820	0	0	0	0	5904820
23	संत कबीर नगर	403791	176000	71225	42030	0	0	693046
24	चित्रकूट	0	0	103451	0	0	0	103451
25	आजमगढ़	0	0	725223	34150	0	0	759373
26	फतेहपुर	0	413250	548100	0	0	0	961350
27	हरदोई	0	1725000	0	0	0	0	1725000
28	रायबरेली	0	565800	0	0	0	0	565800
	कुल योग	**2307594**	**70138312**	**3318313**	**770215**	**7500**	**231600**	**76773534**

3. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यकम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यकम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

4. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यकम की धनराशि दूसरे कार्यकमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

5. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख, कैशबुक, बैक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

6. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।

7. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

8. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

9. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

11. भारत सरकार के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

12. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही

हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0 / एन0सी0डी0 / NPCB / 01 / 2017-18 / तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त, जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. राज्य कार्यकम अधिकारी, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यकम, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि अवमुक्त की जा रही धनराशि की वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
6. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को ई-मेल के माध्यम से इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट- www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला लेखा प्रबन्धक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा0 ए0बी0 सिंह)
,उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
चन्दौली, कानपुर नगर, बलरामपुर, सीतापुर हाथरस, उन्नाव, मुजफ्फरनगर, मेरठ, खीरी, गोण्डा, शामली, भदोही, फर्रूखाबाद, मथुरा, सहारनपुर, जालौन, फैजाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, प्रतापगढ़, मऊ, कौशाम्बी, संत कबीर नगर, चित्रकूट, आजमगढ़, फतेहपुर, हरदोइ तथा रायबरेली, उत्तर प्रदेश।

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0/एन0सी0डी0/NPCB/01/2017–18/ दिनांकः 14-07-17

विषय : राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2015–16 तक की 28 जनपदों की लम्बित देनदारियों हेतु जनपदवार, गतिविधिवार अवमुक्त धनराशि एवं तद्सम्बन्धी दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की चतुर्थ पूरक आर0ओ0पी0 2016–17 के एफ0एम0आर0 कोड सं0–आई0 पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत रू0 93703087.00 की धनराशि अनुमोदित की गई है।

2. अतः भारत सरकार के स्वीकृति के क्रम में राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 से 2015–16 तक की लम्बित देनदारियों के सापेक्ष महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, के प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर राज्य स्वास्थ्य समिति के खाते से 28 जनपदों को दिनांक 03/07/2017 को Payment Advice No- C061704634019 अनुसार रू0 76773534.00 की धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में निम्न तालिका के अनुसार अवमुक्त की जा चुकी है–

(Amt. in Rs.)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	राजकीय क्षेत्र	स्वैच्छिक क्षेत्र	बच्चो के चश्में	बुजुर्गों के चश्मे	अन्य नेत्र रोग	मानदेय	कुल योग
		आई.1.1ए	आई.1.1	आई.1.3	आई.1.4	आई.1.2	आई.3	
1	चन्दौली	202072	236000	0	0	0	0	438072
2	कानपुर नगर	0	4734000	146212	30424	7500	0	4918136
3	बलरामपुर	19320	663000	372330	91587	0	0	1146237
4	सीतापुर	0	16726475	0	0	0	0	16726475
5	हाथरस	0	594750	0	0	0	0	594750
6	उन्नाव	0	602500	0	0	0	0	602500
7	मुजफ्फरनगर	0	507500	0	0	0	0	507500
8	मेरठ	38000	1501500	0	0	0	0	1539500
9	खीरी	0	0	297932	39952	0	0	337884
10	गोण्डा	0	859000	0	0	0	0	859000
11	शामली	0	0	240288	0	0	0	240288
12	भदोही	0	1313000	0	0	0	0	1313000
13	फर्रूखाबाद	0	683000	0	0	0	0	683000
14	मथुरा	0	15152950	0	0	0	0	15152950
15	सहारनपुर	0	785000	0	0	0	0	785000
16	जालौन	411130	54000	0	0	0	0	465130
17	फैजाबाद	0	5078600	0	0	0	0	5078600
18	कन्नौज	1097071	4600750	316302	436454	0	231600	6682177

क्र0 सं0	जनपद का नाम	राजकीय क्षेत्र	स्वैच्छिक क्षेत्र	बच्चो के चश्में	बुजुर्गों के चश्मे	अन्य नेत्र रोग	मानदेय	कुल योग
19	कानपुर देहात	0	6590000	0	0	0	0	6590000
20	प्रतापगढ़	136210	671417	0	0	0	0	807627
21	मऊ	0	0	497250	95618	0	0	592868
22	कौशाम्बी	0	5904820	0	0	0	0	5904820
23	संत कबीर नगर	403791	176000	71225	42030	0	0	693046
24	चित्रकूट	0	0	103451	0	0	0	103451
25	आजमगढ़	0	0	725223	34150	0	0	759373
26	फतेहपुर	0	413250	548100	0	0	0	961350
27	हरदोई	0	1725000	0	0	0	0	1725000
28	रायबरेली	0	565800	0	0	0	0	565800
	कुल योग	**2307594**	**70138312**	**3318313**	**770215**	**7500**	**231600**	**76773534**

3. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यकम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यकम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

4. स्वीकृत मद का पुर्निविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यकम की धनराशि दूसरे कार्यकमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

5. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख, कैशबुक, बैक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

6. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।

7. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

8. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

9. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रकिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

11. भारत सरकार के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

12. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही

हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0 / एन0सी0डी0 / NPCB / 01 / 2017–18 / 3634-28-8 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त, जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि अवमुक्त की जा रही धनराशि की वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
6. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को ई–मेल के माध्यम से इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट– www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला लेखा प्रबन्धक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा0 ए0बी0 सिंह)
,उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0